मेरठ कॉलेज, मेरठ

दिनांक 09.03.2023

आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के भामाशाह पार्क (विक्टोरिया पार्क) स्थिति अन्तः तरणताल (स्वीमिंग पूल) को 02 वर्ष के रखरखाव हेतु विद्युत एवं समस्त व्यय सहित दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । जो फर्म उक्त कार्य हेतु अपना आवेदन पत्र देना चाहती है वह दिनांक 21.03.2023 तक श्री दीपक शर्मा, मुख्य कार्यालय के पास अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें । उक्त समयावधि के उपरान्त कोई भी आवेदन प्राप्त नही किया जायेगा। आवेदन करने से पूर्व महाविद्यालय की वेबसाईट www.mcm.ac.in पर समस्त नियम व शर्ते अनिवार्य रूप से पढ़ लें अन्यथा कि स्थिति में महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नही होगा ।

प्राचार्य
मेरठ कॉलिज, मेरठ ।

अवैतनिक मंत्री
मेरठ कॉलिज, मेरठ ।

मैसर्स
प्रोमिनैन्ट कम्यूनिकेशन प्रा0लि0
विपरीत, जैन धर्मशाला,
मेरठ ।

व दैनिक हिन्दुस्तान — व 11/12/03/23

उक्त विज्ञापन को **"हीरा टाईम्स"** समाचार पत्र में दिनांक 10.03.2023 के संस्करण में **वर्गीकृत कालम** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित समचार पत्र की दो प्रतियाँ के साथ अपना बिल भुगतान हेतु महाविद्यालय में प्रस्तुत करें ।

(डा0 ओम प्रकाश अग्रवाल)
अवैतनिक मंत्री

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतू प्रेषितः–

1. प्राचार्य, मेरठ कॉलेज, मेरठ को उक्तानुसार ।
2. श्री ललित कुमार को इस आश्य से कि उक्त पत्र को महाविद्यालय की वेवसाईट पर अपलोड करें ।

(डा0 ओम प्रकाश अग्रवाल)
अवैतनिक मंत्री

मेरठ कॉलेज, मेरठ के क्रीडा मैदान भामाशाह पार्क (विक्टोरिया पार्क) स्थित अन्तः तरणताल (इण्डोर स्वीमिंग पूल) को प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित नियमवाली के तहत तरणताल का संचालन किया जायेगा ।

नियमावली में प्रथम पक्ष मेरठ कॉलेज, मेरठ एवं द्वितीय पक्ष वह पक्षकार होगा जो निर्धारित शर्तो पर तरणताल का संचालन करने को सहमत होगा ।

नियमावली

1. यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को उक्त एक स्वीमिंग पूल (तरणताल) को 02 वर्ष के प्रबन्ध के लिये प्रत्येक वर्ष की अवधि (**पांच माह की अवधि दिनांक 01.04.2023 से 31.08.2023** तक) के लिये लाईसेन्स पर देता है ।
2. यह कि उक्त स्वीमिंग पूल में द्वितीय पक्ष सिर्फ उतने भाग का इस्तेमाल कर पायेंगे जो मौके पर उक्त स्वीमिंग पूल के कम्पाउण्ड के नाम से जाना जाता है । भामाशाह पार्क के किसी अन्य भाग को किसी भी अन्य प्रकार से इस्तेमाल करने का द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार नहीं होगा ।
3. यह कि इस लाईसेन्स डीड के द्वारा द्वितीय पक्ष के हक में कोई किरायेदारी के हक नही दिये जा रहे हैं और न ही उक्त तरणताल के ऊपर द्वितीय पक्ष को एकल कब्जा दिया जा रहा है । द्वितीय पक्ष को सिर्फ तरणताल के प्रबन्ध करने के अधिकार इस लाईसेन्स डीड के द्वारा दिये जा रहे है । स्वीमिंग पूल पर वास्तविक कब्जा प्रथम पक्ष का ही होगा ।
4. यह कि द्वितीय पक्ष के ऊपर पाबन्दी होगी कि वह जिस समय भी तरणताल चल रहा हो उसमें हर समय तरणताल के नियम के अनुसार दो कोच और दो लाईफ गार्ड ड्यूटी पर तैनात करेगा तथा स्वीपर भी द्वितीय पक्ष का ही होगा ।
5. यह कि द्वितीय पक्ष के ऊपर यह भी पाबन्दी होगी कि हर समय फिल्टर प्लांट के ऑपरेटर, फिल्टर प्लांट की सफाई करने वाले अटैण्डेन्ट की ड्यूटी तरणताल पर लगायेगा । समस्त बिजली बिल व बिजली सम्बन्धित अन्य चार्ज द्वितीय पक्ष के द्वारा ही भुगतान किये जायेगें तथा तरणताल पर स्थित समस्त मशीन मोटर आदि का रखरखाव द्वितीय पक्ष का ही होगा ।
6. यह कि तरणताल के जरूरत के अनुसार कैमीकल्स इत्यादि डालने का उत्तर दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा ।
7. यह कि उक्त तरणताल को प्रत्येक वर्ष केवल (05) माह के लिये प्रबन्धन हेतु द्वितीय पक्ष को लाईसेन्स डीड के प्रतिफल स्वरूप द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अंकन रूपये (ई–कुटेशन के बाद निर्धारित) का भुगतान करेगा तथा प्रथम वर्ष का भुगतान तरणताल प्रारम्भ करने से पूर्व 50 प्रतिशत व बाकी धनराशि 2 माह के अन्दर तक अनिवार्य रूप से जमा करेगें । द्वितीय वर्ष हेतु स्वीकृति धनराशि का 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

8. यह कि यदि उक्त तरणताल में लाईसेन्स की अवधि में किसी पुरूष/महिला अथवा बच्चे के साथ तरणताल संचालन से सम्बन्धित कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । जिसमें प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

9. यह कि द्वितीय पक्ष जो भी कोच या लाईफ गार्ड आदि रखेगा, उनकी शैक्षिक योग्यता तरणताल नियम कानून के हिसाब से होगी इसक पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

10. यह कि उक्त तरणताल को चलाने के लिये यदि किसी और लाईसेन्स इत्यादि अथवा किसी भी अनुमति की कोई आवश्यकता किसी भी विभाग से हो तो वह सब प्राप्त करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । बिना उक्त अनुमति अथवा लाईसेन्स के द्वितीय पक्ष को उक्त तरणताल को चलाने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा और यदि बिना किसी अनुमति या लाईसेन्स के तरणताल को चलाया गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी भी कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

11. यह कि इस लाईसेन्स डीड के समाप्त होने के बाद अर्थात दिनांक 31.08.2023 को द्वितीय पक्ष को सौंप देगें और किसी भी फिलट्रेशन प्लान्ट इत्यादि जो इस लाईसेन्स डीड के अर्न्तगत लगाये गये हैं को निकालने के हकदार नहीं होगें ।

12. यह कि यदि द्वितीय पक्ष को उक्त तरणताल का प्रबन्ध जैसी भी स्थिति में है उसे लेने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी और प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को इससे होने वाली किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार नही होगा ।

13. द्वितीय पक्ष इस आशय का एक शपथ पत्र प्रथम पक्ष के समक्ष तरणताल प्रारम्भ करने से पूर्व देगा कि लाईसेन्स डीड की सभी शर्तो का पालन करेगा और सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानक तरणताल नियम के अनुसार पूर्ण कर लिये गये है । यदि प्रथम पक्ष डीड की शर्तो और तरणताल संचालन में कमी पर डीड को सम्पूर्ण रूप से निरस्त करता है तो उसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा ।

14. यह कि महाविद्यालय के प्रमाणित संस्थागत छात्रों के लिये एक बैच आरक्षित किया जायेगा और महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं से कोई शुल्क नही लिया जायेगा । महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियो/सदस्यों, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी अपने वार्ड सहित एक प्रथम बैच में तैराकी की सुविधा दी जायेगी एवं उनसे भी कोई शुल्क नही लिया जायेगा । महाविद्यालय के छात्र, शिक्षकों कर्मचारियों एवं उनके वार्डस के बैच में भी सुरक्षा एवं सुविधा के सभी मानकों का पालन किया जाना आवश्यक होगा एवं उनके साथ सदव्यवहार में यह ध्यान रखा जायेगा कि यह महाविद्यालय और उसके समस्त संसाधन मूलतः उनके लिए ही है ।

15. यह कि महाविद्यालय के प्रथम पक्ष को इस लाईसेन्स डीड को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।